

[2023] 3 एस सी आर 165

ए.

इमतियाज़ अहमद मल्ला बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य (2021 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 678)

बी.

फरवरी 28, 2023

[अजय रस्तोगी और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

सेवा कानून:बहाली-याचिकाकर्ता ने जम्मू और कश्मीर कार्यकारी पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया-उसने आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता के संबंध में जानकारी को दबा दिया-इसे देखते हुए, उसका नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया गया-बाद में, याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया-उच्च न्यायालय ने रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया-प्रत्यर्थी को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया-पुनर्विचार पर, पुलिस महानिदेशक ने याचिकाकर्ता की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उसे पद के लिए अनुपयुक्त पाया-बहाली की मांग करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा लिखित याचिका-हालांकि, एकल पीठ के साथ-साथ खंड पीठ ने पुलिस महानिदेशक के फैसले को बरकरार रखा-अपील पर कहा:आपराधिक मामले में केवल बरी होने से कर्मचारी को सेवा में बहाली का अधिकार नहीं मिलता है-पुलिस बल में ईमानदारी और उच्च मानक के आचरण की आवश्यकता होती है-नीचे दिए गए न्यायालयों ने सही निर्णय दिया कि पुलिस पदानुक्रम में सर्वोच्च पदाधिकारी होने के नाते महानिदेशक पुलिस बल में शामिल करने के लिए याचिकाकर्ता की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश था-इस प्रकार, आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता और दुर्बलता न्यायसंगत और उचित नहीं है-अनुच्छेद 136-भारत का संविधान-अनुच्छेद 136-रणवीर दंड संहिता-के तहत इसके अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।धारा 379-वन अधिनियम -एस. 6.भारत का संविधान:अनुच्छेद 136-अधिकार क्षेत्र के तहत विशेष और असाधारण शक्तिदुर्लभ और असाधारण मामलों में प्रयोग किया जाना।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

शब्द और वाक्यांश: "माननीय दोषमुक्ति"-का अर्थ है।केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम प्रदीप कुमार और एक अन्य **(2018) 1 एससीसी 797:[2018] 1 एस. सी. आर. 112**; पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य बनाम मेहर सिंह **(2013) 7 एस. सी. सी. 685:[2013] ए.**

एच.

165

166 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 3 एस. सी. आर.

**13 एससीआर 432**; भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंधन, नई दिल्ली बनाम भोपाल सिंह पांचाल **(1994) 1 एससीसी**

541 :[1993] 3 पूरकाएस. सी. आर. 586; आर. पी. कपूर बनाम भारत संघ और एक अन्य ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 787:[1964] एससीआर

**431**; अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य **(2016)**

**8 एससीसी 471:[2016] 7 एस. सी. आर. 445**-संदर्भित।मामला कानून संदर्भ बी.

**[2018] 1 एससीआर 112**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

**[2013] 13 एससीआर 432**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

**[1993] 3 पूरकापैरा 11 [1964] एस. सी. आर. 431** को संदर्भित एस. सी. आर. **586**

सी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

संदर्भित किया गया है

**पैरा 13**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2021 की विशेष अवकाश याचिका (सी) No.678।

डी.

2018 के एल. पी. ए. एस. डब्ल्यू. No.71 में श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.08.2019 के निर्णय और आदेश से।

विक्रम हेगड़े, चितवान शर्मा, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

ई.

शैलेश मडियाल, पार्थ अवस्थी, वैभव सभरवाल, अक्षय कुमार, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

एफ.

1. तत्काल विशेष अनुमति याचिका 2018 के एल. पी. ए. एस. डब्ल्यू. संख्या 71 में श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा पारित 09.08.2019 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता-अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है और 2017 के एस. डब्ल्यू. पी. संख्या 1766 को खारिज करते हुए एकल पीठ द्वारा पारित 14.05.2018 के आदेश की पुष्टि की है।

जी.

2. संक्षेप में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने जम्मू और कश्मीर कार्यकारी पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए 2008-2009 में आयोजित चयन प्रक्रिया में सफलतापूर्वक भाग लिया था, और उन्हें 20.08.2009 दिनांकित एक नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता को नौ ए से गुजरने के लिए पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मणिगाम में प्रतिनियुक्त किया गया।

एच.

**167**

इमतियाज़ अहमद मल्ला बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]  
ए.

बी. आर. टी. सी. पाठ्यक्रम। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद याचिकाकर्ता सहित दस नए भर्ती किए गए कांस्टेबलों की तलाशी पच्ची, निदेशक, फिंगर प्रिंट ब्यूरो (सी. पी. पी. बी.) और एन. सी. आर. बी. पूर्व, नई दिल्ली को रिकॉर्ड और संदर्भ उद्देश्य के लिए भेजी गई थी, और उक्त ब्यूरो ने 07.12.2009 दिनांकित पत्र के माध्यम से जवाब दिया कि याचिकाकर्ता पुलिस स्टेशन, कालगुंड में रणबीर दंड संहिता (आर. पी. सी.) की धारा 379 और वन अधिनियम की धारा 6 के तहत एफ. आई. आर. संख्या 52/2007 के रूप में दर्ज मामले में शामिल था। उक्त मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हंदवाड़ा के समक्ष लंबित बताया गया था। याचिकाकर्ता के चयन को रद्द करने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक, एनकेआर, बारामूला के साथ पुलिस जिला मुख्यालय, हंदवाड़ा द्वारा मामला उठाया गया था। जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता को आरोपों और आरोप पत्र का सारांश दिया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि उक्त आपराधिक मामले में, याचिकाकर्ता को उसकी गिरफ्तारी के चार दिनों के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था, और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता के बारे में अच्छी जानकारी थी और उसने जानबूझकर उक्त जानकारी को छिपा दिया था। जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि याचिकाकर्ता ने पुलिस सत्यापन के समय क्लीन चिट पाने के लिए पाखरीबल के बजाय गाँव गुंडचोबोत्रा में अपना निवास दिखाया था। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के 20.08.2009 दिनांकित नियुक्ति आदेश को 01.03.2010 दिनांकित आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था।

बी.

सी.

डी.

3. याचिकाकर्ता ने 2011 की एस. डब्ल्यू. पी. संख्या 2616 के रूप में रिट याचिका दायर करके अपनी नियुक्ति को रद्द करने के उक्त आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस बीच, याचिकाकर्ता पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हंदवाड़ा की अदालत द्वारा आपराधिक मामले में मुकदमा चलाया गया और उसे बरी कर दिया गया। अतः उक्त याचिका का निपटान दिनांक 18.05.2016 के आदेश के माध्यम से किया गया, जिसमें दिनांक 01.03.2010 के विवादित आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया था। संबंधित प्रत्यर्थी को दिनांकित 27.02.2012 के संचार को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, जो अन्य व्यक्तियों के संबंध में याचिकाकर्ता के समान स्थित है। पुनर्विचार पर, पुलिस महानिदेशक, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर ने दिनांक 1 का आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, उसे अनुशासित बल में कांस्टेबल के पद के लिए अनुपयुक्त पाया गया था।

ई.

एफ.

जी.

4. दिनांकित 31.07.2017 के उक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने 2017 की एस. डब्ल्यू. पी. संख्या 1766 के रूप में रिट याचिका दायर की, जिसमें परिणामी लाभों के साथ बहाली की मांग की गई। उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई

एच.

168

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

एकल पीठ द्वारा 14.05.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से, जिसके द्वारा एकल पीठ संघ के निर्णय पर भरोसा करती है

क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम प्रदीप

कुमार और अन्य 1 ने अभिनिर्धारित किया कि पुलिस महानिदेशक, पुलिस विभाग के पदानुक्रम में सर्वोच्च पदाधिकारी, के पुलिस बल में शामिल करने के लिए अपीलार्थी की उपयुक्तता पर विचार करने के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए पीड़ित याचिकाकर्ता ने एल. पी. ए. दायर किया, जिसे खंड पीठ ने विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

बी.

5. हालांकि पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा मामले पर विस्तार से बहस की गई थी, लेकिन इस अदालत के समक्ष विचार के लिए सटीक सवाल यह है कि क्या पुलिस महानिदेशक, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर, जो याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि याचिकाकर्ता अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए पुलिस बल में पद संभालने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं था, आपराधिक मामले में बरी होने पर याचिकाकर्ता को बहाल करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

सी.

डी.

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत करने की मांग की गई थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे में, अभियोजन पक्ष जांच अधिकारी से पूछताछ करने में विफल रहा था और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को घर लाने में भी विफल रहा था, और इसलिए उक्त मामले में उसके बरी होने को सम्मानजनक बरी होने के

रूप में माना जाना आवश्यक था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह मानने का आधार कि याचिकाकर्ता की आपराधिक पृष्ठभूमि थी, सक्षम आपराधिक अदालत द्वारा बरी किए जाने पर प्रत्यर्थागणों के लिए अब उपलब्ध नहीं था।

ई.

7. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए उक्त निवेदन की सराहना करने के लिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हंदवाड़ा के न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित निर्णय के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा, जिसमें याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था।

एफ.

“कि आई. ओ. को पेश नहीं किया गया है और जांच नहीं की गई है जो अभियोजन मामले में कानूनी दुर्बलता है क्योंकि भौतिक विरोधाभासों का उत्तर नहीं दिया गया है और न ही साइट योजना साबित हुई है। इसके अलावा, गवाहों द्वारा लकड़ी की जब्ती साबित नहीं हुई है। किसी भी गवाह ने यह गवाही नहीं दी है कि आरोपी ने जंगल में चोरी की थी और आरोपी व्यक्तियों के कब्जे में विलो के पेड़ पाए गए थे। विरोधाभासी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त ऐसा नहीं कर सकता।

जी.

1 (2018) 1 एससीसी 797 ए

एच.

169

इमतियाज़ अहमद मल्ला बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]  
ए.

दोषी ठहराया जाए, क्योंकि संदेह का लाभ अभियुक्त को जाता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ धारा 379 आर. पी. सी., 6 F.Act के घटकों को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहा है। अतः अभियोजन पक्ष का मामला विफल हो जाता है। चालान को बर्खास्त कर दिया जाता है। अभियुक्तों को धारा 379 आर. पी. सी. 6 F.Act के तहत अपराध करने के आरोपों से बरी कर दिया जाता है। आरोपी जमानत पर हैं। उनके जमानत बांड और व्यक्तिगत बांड जारी किए जाते हैं। जब से वन विभाग द्वारा जब्ती की कार्यवाही शुरू की गई है, तब से लकड़ी का निपटान किया गया है। उचित रूप से पूरा होने के बाद चालान को अभिलेखों में भेजा जाए।”

बी.

8. इस तथ्य के अलावा कि "सम्मानजनक बरी" वाक्यांश को दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, जैसा कि आपराधिक मामले में पारित पूर्व-वर्णित आदेश से लिया गया है, जिसके लिए याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया गया था, याचिकाकर्ता को रिकॉर्ड पर आए विरोधाभासी साक्ष्य को देखते हुए संदेह का लाभ दिया गया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई थी।

सी.

9. पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य के मामले में

डी.

बनाम मेहर सिंह **2**, इस न्यायालय ने वर्तमान मामले में शामिल समान मुद्दों पर निम्नानुसार टिप्पणी की:

"25. एस. समुथिरम [के महानिरीक्षक] में इस न्यायालय द्वारा "सम्मानजनक बरी" अभिव्यक्ति पर विचार किया गया था।

पुलिस बनाम एस. समुथिरम, (2013) 1 एससीसी 598:(2013) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 566:(2013) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 229]। उस मामले में यह न्यायालय उस स्थिति से चिंतित था जहां एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 509 और छेड़छाड़ अधिनियम की धारा 4 के तहत आपराधिक मामला लंबित था। उस मामले में प्रमुख गवाहों से पूछताछ न होने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया था। आपराधिक मामले के संचालन में एक गंभीर त्रुटि थी। दो भौतिक गवाह मुकर गए। भारतीय रिजर्व बैंक बनाम भोपाल सिंह पांचाल [(1994) 1 एस. सी. सी. 541 में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 594:(1994) 26 ए. टी. सी. 619], जहाँ कुछ इसी तरह की तथ्य स्थिति में, इस न्यायालय ने किसी कर्मचारी को सेवा में बहाल करने से इनकार करने की बैंक की कार्रवाई को इस आधार पर बरकरार रखा कि आपराधिक मामले में उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था और इसलिए, यह एक सम्मानजनक बरी नहीं था, इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय विभागीय कार्यवाही में लगाए गए दंड को रद्द करने में उचित नहीं था। इस न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्तियाँ

ई.

एफ.

जी.

2 (2013) 7 एस. सी. सी. 685

एच.

“ सम्मानजनक बरी ”, दोषमुक्त "और" पूरी तरह से "

दोषमुक्त "दंड प्रक्रिया संहिता या दंड संहिता के लिए अज्ञात हैं।वे न्यायिक घोषणाओं द्वारा बनाए जाते हैं।यह परिभाषित करना मुश्किल है कि "सम्मानपूर्वक बरी" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है।इस अदालत ने कहा कि जब अभियोजन पक्ष के मामले पर पूरा विचार करने के बाद आरोपी को बरी कर दिया जाता है और अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहता है, तो संभवतः यह कहा जा सकता है कि आरोपी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था।

बी.

26. उपरोक्त के आलोक में, हमारी राय है कि चूंकि विभागीय कार्यवाही का उद्देश्य उन व्यक्तियों को विभाग से बाहर रखना है, जो गंभीर दुराचार या कर्तव्य में लापरवाही के दोषी हैं या जो नैतिक अधमता के गंभीर मामलों में दोषी हैं, यदि आवश्यक पाए जाते हैं, क्योंकि वे विभाग को प्रदूषित करते हैं, तो निश्चित रूप से उपरोक्त सिद्धांत पुलिस विभाग में किसी व्यक्ति के प्रवेश के समय यानी भर्ती के समय अधिक जोर से लागू होंगे।यदि जाँच समिति द्वारा यह पाया जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ नैतिक अधमता से संबंधित एक गंभीर मामला दर्ज किया गया है, उसे तकनीकी आधार पर आरोपमुक्त कर दिया जाता है या उसी आरोप से बरी कर दिया जाता है, लेकिन बरी करना सम्मानजनक नहीं है, तो जाँच समिति उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने का हकदार होगी।अनुशासनात्मक बल में व्यक्तियों की नियुक्ति करते समय सख्त मानदंडों को लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें जनहित शामिल है।”

सी.

डी.

ई.

10. इसमें आगे यह देखा गया कि यदि जांच समिति का निर्णय दुर्भावनापूर्ण नहीं था या बाहरी विचारों से प्रेरित नहीं था, तो उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था।

“35. पुलिस बल एक अनुशासित बल है।समाज में कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी इसके कंधों पर है।लोग इसमें बहुत विश्वास और विश्वास रखते हैं।यह उस विश्वास के योग्य होना चाहिए।पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार को अत्यंत ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए।उसके पास त्रुटिहीन चरित्र और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए।आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इस श्रेणी में फिट नहीं होगा।भले ही वह आपराधिक मामले में बरी या आरोपमुक्त हो जाता है, उस दोषमुक्त या आरोपमुक्त

करने के आदेश की जांच यह देखने के लिए की जानी चाहिए कि क्या उसे मामले में पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है क्योंकि उसके अपराधों में शामिल होने की संभावना भी पुलिस बल के अनुशासन के लिए खतरा है। इसलिए स्थायी आदेश ने इन मामलों में निर्णय लेने का काम जांच समिति को सौंपा है।

एफ.

जी.

एच.

171

इमतियाज़ अहमद मल्ला बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

ए.

ए.

जाँच समिति के निर्णय को अंतिम रूप में लिया जाना चाहिए जब तक कि यह दुर्भावनापूर्ण न हो। हाल के दिनों में पुलिस बल की छवि धूमिल हुई है। पुलिस कर्मियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके गलत तरीके से व्यवहार करने के उदाहरण सार्वजनिक हैं और चिंता का विषय हैं। पुलिस बल की प्रतिष्ठा को झटका लगा है। ऐसी स्थिति में, हम दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई जांच समिति जैसे तंत्र के महत्व और प्रभाव को कम नहीं करना चाहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन व्यक्तियों के पुलिस बल की विश्वसनीयता को कम करने की संभावना है, वे पुलिस बल में प्रवेश न करें। साथ ही, जाँच समिति को उसमें रखे गए विश्वास के महत्व के प्रति सचेत रहना चाहिए और सभी उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।

बी.

सी.

36. जाँच समिति की कार्यवाही को मनमाना, दिशाहीन और निरंकुश बताया गया है। लेकिन, वर्तमान मामलों में, हम इसका कोई सबूत नहीं देखते हैं। हालांकि, कुछ उदाहरणों को इंगित किया गया है जहां कथित रूप से गंभीर अपराधों में शामिल व्यक्तियों की जाँच समिति द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। यह अच्छी तरह से तय है कि ऐसे मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता का सिद्धांत आकर्षित नहीं होता है। यह सिद्धांत नकारात्मक नहीं है।

डी.

समानता (फुलजीत कौर [फुलजीत कौर बनाम पंजाब राज्य, 2010) 11

एससीसी 455])। इसका उद्देश्य अवैधता या धोखाधड़ी को कायम रखना नहीं है क्योंकि यह एक सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है। यदि जांच समिति, जो यह सुनिश्चित करने के लिए

व्यापक नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए गठित की गई है कि संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोग पुलिस बल में प्रवेश न करें, नीति से विचलित न हों, अपवाद करती है और अवांछनीय व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति देती है, तो यह निस्संदेह पुलिस बल के लिए गंभीर अहित का कार्य करने का दोषी है, लेकिन हम प्रत्यर्थागण को ऐसे मामलों पर भरोसा करने की अनुमति देकर उस अवैधता को बनाए रखने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। यह जांच करना दिल्ली के पुलिस आयुक्त का काम है कि क्या जांच समिति ने किसी भी मामले में पुलिस बल के हितों से समझौता किया है और यदि उसे पता चलता है कि उसने ऐसा किया है तो वह सुधारात्मक कार्रवाई करेगा। जनहित इस आरोप की उच्चतम स्तर पर गहन जांच की मांग करता है। शायद, नीति से इस तरह के विचलन पुलिस की ज्यादातियों में तेजी के लिए जिम्मेदार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के पुलिस आयुक्त मामले को देखेंगे और यदि आरोपों में कोई सार है तो तत्काल आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि स्थायी आदेश में शामिल नीति को सख्ती से लागू किया जा सके।”

ई.

एफ.

जी.

एच.

172

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

11. "सम्मानजनक बरी" शब्द अन्य मामलों में भी विचार के लिए आया था, अर्थात् रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधन।

भारत, नई दिल्ली बनाम भोपाल सिंह पांचाल **3**; और आर. पी. कपूर बनाम भारत संघ और अन्य **4** जिसके तहत यह माना गया था कि

केवल बरी होने से कर्मचारी को सेवा में बहाली का अधिकार नहीं मिलता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बरी होने का फैसला सम्मानजनक होना चाहिए। इस प्रकार, "सम्मानजनक दोषमुक्त", "दोषमुक्त", "पूरी तरह से दोषमुक्त" अभिव्यक्तियाँ दंड प्रक्रिया संहिता या दंड संहिता के लिए अज्ञात हैं, और "सम्मानजनक दोषमुक्त" अभिव्यक्तियों का सटीक अर्थ क्या है, यह परिभाषित करना मुश्किल है।

बी.

12. प्रदीप कुमार के मामले (उपरोक्त) में भी यह दोहराया गया कि यदि किसी व्यक्ति को बरी या आरोपमुक्त कर दिया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वह गलत तरीके से शामिल था, या उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। इसमें की गई सटीक टिप्पणियों को नीचे फिर से प्रस्तुत किया गया है:

सी.

“10. आपराधिक मामले में बरी होना संबंधित पद पर उम्मीदवारों की उपयुक्तता के बारे में निर्णायक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को बरी या आरोपमुक्त कर दिया जाता है, तो हमेशा यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वह गलत तरीके से शामिल था या उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी। जब तक यह एक सम्मानजनक बरी नहीं होता है, उम्मीदवार मामले के लाभ का दावा नहीं कर सकता है। क्या सम्मानजनक दोषमुक्ति है, इस द्वारा विचार किया गया था

डी.

पुलिस महानिरीक्षक बनाम एस. समुथिरम [पुलिस महानिरीक्षक बनाम एस. समुथिरम, (2013) 1 एस. सी. सी.

ई.

598 : (2013) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 566: (2013) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 229], जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एस. सी. सी. पी. 609, पैरा 24)

“24. “सम्मानजनक बरी” अभिव्यक्ति का अर्थ इस न्यायालय के समक्ष आर. बी. आई. बनाम भोपाल सिंह मामले में विचार के लिए आया।

पांचाल [भारतीय रिजर्व बैंक बनाम भोपाल सिंह पांचाल, (1994) 1 एस. सी. सी. 541:

एफ.

1994 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 594]। उस मामले में, इस न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही पर आपराधिक अदालत द्वारा सम्मानजनक बरी किए जाने से संबंधित विनियमन 46 (4) के प्रभाव पर विचार किया है। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल बरी होना किसी कर्मचारी को सेवा में बहाली का हकदार नहीं बनाता है, बरी होना, यह अभिनिर्धारित किया गया था, सम्मानजनक होना चाहिए। “सम्मानजनक दोषमुक्त”, “दोषमुक्त”, “पूरी तरह से दोषमुक्त” शब्द दंड प्रक्रिया संहिता या दंड संहिता के लिए अज्ञात हैं, जो न्यायिक घोषणाओं द्वारा बनाए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करना मुश्किल है कि इसका क्या अर्थ है

जी.

एच.

173

इमतियाज़ अहमद मल्ला बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]  
ए.

"सम्मानपूर्वक बरी" अभिव्यक्ति द्वारा। जब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर पूरा विचार करने के बाद अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है और अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, तो संभवतः यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था।"

**11. ....**

बी.

**12. ....**

13. इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आपराधिक मामले में बरी होने से वह स्वतः ही इस पद पर नियुक्ति का हकदार नहीं हो जाता है। फिर भी, नियोक्ता के लिए यह खुला है कि वह पूर्ववृत्तियों पर विचार करे और जांच करे कि क्या वह पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है। मेहर सिंह में इस न्यायालय की टिप्पणियों से। पुलिस बनाम मेहर सिंह, (2013) 7 एससीसी 685: (2013) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 669: (2013) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 910] और परवेज खान [एम. पी. बनाम राज्य] परवेज खान (2015) 2 एस. सी. सी. 591: (2015) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 544] मामलों में, यह स्पष्ट है कि पुलिस सेवा में भर्ती होने वाला उम्मीदवार त्रुटिहीन चरित्र और सत्यनिष्ठा का होना चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इस श्रेणी में फिट नहीं होगा। भले ही वह बरी हो जाए या बरी हो जाए, यह नहीं माना जा सकता है कि उसे सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था/पूरी तरह से बरी कर दिया गया था। जाँच समिति के निर्णय को अंतिम रूप में लिया जाना चाहिए जब तक कि इसे दुर्भावनापूर्ण नहीं दिखाया जाता है। जाँच समिति को भी उसमें रखे गए विश्वास के महत्व के प्रति सचेत रहना चाहिए और उम्मीदवार की पूर्ण चरित्र के साथ जाँच करनी चाहिए।"

सी.

डी.

ई.

13. उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक अभियोजन, गिरफ्तारी या आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में प्रासंगिक जानकारी या गलत जानकारी को दबाने के संबंध में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ

एफ.

अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य 5 में निर्धारित किया गया है

सटीक दिशानिर्देश। इसका पैरा 38.5 इस प्रकार है: “ 38.5. ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई से घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।”

जी.

14. उपरोक्त सभी मामलों में, पुलिस बल में ईमानदारी और आचरण के उच्च मानक की आवश्यकता पर अत्यधिक जोर दिया गया है।

5 (2016) 8 एस. सी. सी. 471

एच.

174

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में शामिल मुद्दों के प्रत्येक पहलू पर भी विस्तार से विचार किया है, जबकि एकल पीठ के आदेश को इस प्रभाव से बरकरार रखा है कि पुलिस पदानुक्रम में सर्वोच्च पदाधिकारी होने के नाते, पुलिस बल में शामिल करने के लिए याचिकाकर्ता की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए महानिदेशक सबसे अच्छे न्यायाधीश थे। विवादित आदेश न्यायसंगत और उचित होने के कारण, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

बी.

15. यह कानून की अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 का दायरा बहुत व्यापक है, लेकिन इसके तहत प्रदान की गई शक्ति एक बहुत ही विशेष और असाधारण शक्ति है, इसका प्रयोग दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए। चूंकि, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं पाते हैं, इसलिए वर्तमान याचिका खारिज किए जाने के योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

सी.

निधि जैन

एसएलपी खारिज कर दी गई।

डी.

(सहायक: भव्यता कपूर और तमन्ना, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.